रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 200] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 29, 1972/श्रावण 7, 1894
No. 200] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 29, 1972/SRAVANA 7, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 29th *July* 1972

G.S.R. 365(**E**).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts solid fibre board falling under Item No. 17(4) of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of four hundred rupees per metric tonne.

[No. 180/72.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पादशुल्क

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1972

जी० एस० आर० 365(ई).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 17 (4) के अन्तर्गत आने वाले ठोस तन्तु-बोर्ड को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना चार सौ रुपये प्रति मीटरी टन से अधिक है।

[सं० 180/72]

G.S.R. 366(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts mill board falling under Item No. 17(3) of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon if used within the factory of production in the manufacture of solid fibre board.

Explanation.—For the purpose of this notification, 'mill board' means any unbleached homogenous board having a thickness exceeding 0.50 millimetres and made out of mixed waste papers with or without screenings and mechanical pulp but without any colouring matter being added thereto.

[No. 181/72.]

जी० एस० आर० 366(ई).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 17 (3) के अन्तर्गत आने वाले मिल बोर्ड को, यदि उसका प्रयोग ठोस तन्तु-बोर्ड के विनिर्माण में उत्पादन कारखाने के भीतर किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है।

स्पष्टीकरण :– इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, 'मिल बोर्ड' से कोई ऐसा अविरंजित सजातीय बोर्ड अभिप्रेत है जिसकी मोटाई 0.50 मिलिमीटर से अधिक हो और जो स्क्रीनिंग और यांत्रिक लुगदी के साथ या उनके बिना मिश्रित रद्दी कागजों से बनाया गया हो किन्तु उसमें कोई रंजक द्रव्य न मिलाया गया हो।

[संख्या 181/72]

G.S.R. 367(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 35/64-Central Excises, dated the 1st March, 1964, namely:—

In the said notification, after the proviso and before the Explanation, the following further proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that any quantity of mill board exempted from duty of excise under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 181/72-Central Excises, dated the 29th July, 1972, shall be taken into account for determining the quantity referred to in column (1) of the Table appended to this notification."

[No. 182/72.]

J. P. KAUSHIK, Under Secy.

जी०एस०आर० 367(ई).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 35/64-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1964 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित और परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 181/72 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29 जुलाई, 1972 के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क के छूट-प्राप्त मिल बोर्ड की मात्रा को, इस अधिसूचना से संलग्न सारणी स्तम्भ (1) में निर्दिष्ट मात्रा का निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा।"

[सं० 182/72]

जे० पी० कौशिक, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972